

भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशनार्थ
(भाग-1 खण्ड-1)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 14 (आरई 2013)/2009-14 दिनांक: 25 मई, 2015

विषय: वर्ष 2014-15 में निवल विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए भारत से प्रदान की जाने वाली सेवा स्कीम (एसएफआईएस) हेतु आवेदन प्रपत्र।

विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक खंड-1 (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र) में संशोधन करते हैं।

2. वर्ष 2014-15 हेतु भारत से प्रदान की जाने वाली सेवा स्कीम (एसएफआईएस) के तहत लाभ का दावा करने के लिए इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक के रूप में दिए गए एएनएफ3ख-2 में दावा प्रस्तुत किया जाएगा।

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: वर्ष 2014-15 में अर्जित की गई विदेशी मुद्रा हेतु भारत से प्रदान की जाने वाली सेवा स्कीम (एसएफआईएस) के लाभ का दावा करने के लिए एएनएफ3ख-2 को अधिसूचित किया जा रहा है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा0सं0 01/61/180/60/एएम13/पीसी-3 से जारी)

एएनएफ 3ख-2

वर्ष 2014-15 में अर्जित निवल विदेशी मुद्रा हेतु भारत से प्रदान की जाने वाली सेवा की स्कीम (एसएफआईएस) हेतु आवेदन प्रपत्र

1.	आवेदक का ब्यौरा													
i	आईईसी संख्या													
ii	नाम													
iii	पता													
iv	दूरभाष संख्या													
v	ई-मेल आईडी													
2.	आरसीएमसी विवरण													
i.	आरसीएमसी सं.													
ii	वैधता तिथि तक ()								--			--		
iii	जारी करने वाला प्राधिकारी													
iv	व्यवसाय की मुख्य लाइन जिसके लिए उत्पाद/सेवा पंजीकृत की गई है													
3	परिशिष्ट 41 के अनुसार सेवा की श्रेणी													
4	आवेदन की बारंबारता						वार्षिक							
5.	भारत से बाहर अथवा भारत में सेवा प्रदान करने पर अर्जित निवल विदेशी मुद्रा													
	सेवा प्रदाता द्वारा पात्र सेवा प्रदान करना				अमरीकी डालर में अर्जित सकल विदेशी मुद्रा			विदेशी मुद्रा अमरीकी डालर में प्रेषित कुल व्यय/भुगतान			अमरीकी डालर में अर्जित निवल विदेशी मुद्रा			
					1			2			3=(1-2)			
i	विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (i) के अंतर्गत भारत से किसी अन्य देश को सेवा प्रदान करना				(अनुलग्नक-क के कालम-6 के कुल के अनुसार)									
ii	विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (ii) के अंतर्गत भारत से किसी अन्य देश को सेवा उपभोक्ता/लाभों को सेवा प्रदान करना				(अनुलग्नक-ख के कालम-6 के कुल के अनुसार)									
iii	विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (iii) के तहत भारत से किसी अन्य देश की सीमा से मौजूद व्यवसायिक अथवा वास्तविक इकाई के माध्यम से सेवा प्रदान करना				(अनुलग्नक-ग के कालम-6 के कुल के अनुसार)									
iv	परिशिष्ट 3ड. में भारत में अधिसूचित सेवा प्रदान करना जो उन सेवाओं से संबंधित है जहां मूल्य को भारतीय रुपये				(अनुलग्नक-घ के कालम-6 के कुल के अनुसार)									

	में प्राप्त किया जाता है जिसे अन्यथा आरबीआई द्वारा विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (iv) के अनुसार मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान किया गया माना जाएगा।			
iv	कुल		(अनुलग्नक-ड. के कालम-6 के कुल के अनुसार)	

6	अगले वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल, 2015 को अमरीकी डालर से भारतीय रुपये में विनिमय की दर	
7	भारतीय रुपये में अर्जित समतुल्य निवल विदेशी मुद्रा (अमरीकी डालर में अर्जित निवल विदेशी मुद्रा का X विनिमय दर)	
पात्रता = अर्जित निवल विदेशी मुद्रा का 10 प्रतिशत (रुपये में)		
8	पंजीकरण पत्तन (आयात के उद्देश्य हेतु):	
9	अपेक्षित विभाजन प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, की संख्या (प्रत्येक 5.00 लाख रुपये के गुणक में)	
10	आवेदन जमा करने का ब्यौरा (इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा किए गए आवेदन पत्र क मामले में)	
i.	ई-कॉम संदर्भ संख्या	
ii.	सर्वर पर जमा करने की तारीख	
iii.	क्षेत्रीय प्राधिकारी का नाम जिसके पास जमा किया गया	
iv.	यथा सृजित फाइल संख्या	
v.	दिन फाइल संख्या सृजित करने तारीख	

* निवल विदेशी मुद्रा = सकल अर्जित विदेशी मुद्रा - विदेशी मुद्रा के कुल व्यय/अदायगी/विप्रेषण जिसमें आईईसी धारक द्वारा किए गए वित्तीय वर्ष में पूंजीगत माल पर सेवा क्षेत्र संबंधी व्यय शामिल है।

यदि आईईसी धारक वस्तुओं का निर्यात तथा सेवा प्रदाता है, तो विदेशी मुद्रा अर्जन और हकदारी के परिकलन हेतु कुल व्यय/भुगतान/विप्रेषण सेवा क्षेत्र के लिए होगा।

घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/हैं कि:

i	इस आवेदन में दिए गए ब्यौरे और विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका नहीं गया है। मैं/हम पूर्णतः समझता हूँ/समझते हैं कि आवेदन में दी गई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा परिणाम भुगताने पड़ सकते हैं जो कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हों।
ii	विदेश व्यापार अधिनियम (विकास एवं विनियम) अधिनियम, (एफटीडीआर अधिनियम) 1992 के तहत मेरी/हमारी फर्म/कम्पनी को आईईसी संख्या के निलंबन अथवा निरस्तीकरण कर निर्यात आयात व्यापार अथवा इस प्रकार के कार्यकलाप करने के वंचित नहीं किया गया है।

iii	मेरी/हमारी फर्म/कम्पनी के विदेश व्यापार नीति के किसी प्रावधानों के तहत निर्यात दायित्व संबंधी चूक नहीं किया है और इसे निषिद्ध एकक सूची (डीईएल) के तहत नहीं रखा गया है।
iv	विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 के अनुसार केवल भारत से प्रदान की गई सेवाओं संबंधी अर्जित विदेशी मुद्रा को विदेश व्यापार नीति 2009-14 के पैरा 3.12 के अनुसार एसएफआईएस के तहत इस आवेदन के लिए विचार किया गया है तथा ये सेवा की किसी ऐसी श्रेणी के तहत नहीं आती हैं जो प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 2009-14 के पैरा 3.6.1 के अनुसार पात्र नहीं है।

2. मैं/हम विदेश मुद्रा (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992, वर्ष 2010 में यथा संशोधित, इसके तहत निर्मित नियमावली और आदेशों तथा विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1, 2009-14 के प्रावधानों का पालन करता/करते हैं।

3. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता/करते हैं कि मैं/हम विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.9 के अनुसार इस घोषणा का सत्यापन और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ/हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर														
नाम														
पदनाम														
कार्यालय का पता	फ्लैट/प्लॉट/ब्लॉक सं०													
	गली/क्षेत्र/मुहल्ला													
	शहर													
	राज्य													
	पिन कोड													
दूरभाष सं०	देश कोड क्षेत्र कोड दूरभाष सं०													
			--					--						
फैक्स सं० :			--					--						
ई-मेल :														
स्थान :														
दिनांक :														
जमा किए जाने हेतु दस्तावेज:	i	अनुलग्नक क से ड. सहित एएनएफ 3ख-2 की एक प्रति जो विधिवत भरी गई हो और हस्ताक्षरित हो।												
	ii	अनुलग्नक क से ड. सहित एएनएफ 3ख-2 के संलग्नक में दिए गए प्रारूप में सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस का प्रमाणपत्र।												
	iii	भारतीय रुपए में हुई अर्जित आय का दस्तावेजी साक्ष्य, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में अन्यथा भुगतान किया गया माना गया हो, यदि लागू हो।												
टिप्पण: आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।														

**सनदी लेखाकार (सीए)/लागत एवं निर्माण कार्य लेखाकार (आईसीडब्ल्यूए/कंपनी सचिव (सीएस)
का प्रमाण पत्र)**

मैंने निर्धारित रजिस्ट्रारों तथा मैसर्स..... के संबंधित अभिलेखों की भी जांच की है जिसका आईईसी सं..... और अवधि..... है तथा प्रमाणित करता हूँ कि:

1.	बिलों, बीजकों, विदेशी मुद्रा आगम फार्वर्ड प्रेषण प्रमाण पत्र (एफआईआरसी), बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्रों, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड कंपनियों के प्रमाण पत्र तथा अर्जित विदेशी मुद्रा के साक्ष्यों की मेरे द्वारा जांच करके सत्यापित किया गया है।				
2.	वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित आईईसी धारक द्वारा किए गए कुल व्यय/भुगतान/विदेशी मुद्रा के प्रेषण से संबंधित अभिलेखों की मेरे द्वारा जांच करके सत्यापित किया गया है।				
3.	सेवाएं जिनके लिए लाभ का दावा किया गया है उनमें प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड-1 2009-14 के पैरा 3.61 के अंतर्गत सूचीबद्ध सेवाओं और प्रेषणों को शामिल नहीं किया जाता है।				
4.	न तो मैं और नहीं मेरा/हमारा साझेदार उपर्युक्त कंपनी, इसकी समूह कंपनियों अथवा इसके संबद्ध व्यापारिक संस्थानों में साझेदार, निदेशक अथवा कर्मचारी हूँ।				
5.	वित्तीय वर्ष में अवधि हेतु (इस प्रमाण पत्र के अनुलग्नक ड. में यथा प्रमाणित) सेवा क्षेत्र के संबंध में आईईसी धारक द्वारा भारत से भारत के बाहर (अनुलग्नक क से घ में यथा प्रमाणित) अथवा भारत में से वा की आपूर्ति करके अर्जित विदेशी मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा का किया गया कुल व्यय/भुगतान/प्रेषण का विवरण निम्नानुसार है:-				
	सेवा प्रदाता की श्रेणी	प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड-1 परिशिष्ट 4अ की क्रम सं.	अर्जित सकल विदेशी मुद्रा (अमरीकी डालर में)	विदेशी मुद्रा का कुल व्यय भुगतान/प्रेषण (अमरीकी डालर में)	अर्जित निवल विदेशी मुद्रा (अमरीकी डालर में)
			1	2	3=(1-2)
क.	विदेश व्यापार नीति का पैरा 9.53 (i)		अनुलग्नक-क के कालम-6 के कुल के अनुसार		
ख.	विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (ii)		अनुलग्नक-ख के कालम-6 के कुल के अनुसार		
ग.	विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (iii)		अनुलग्नक-ग के कालम-6 के कुल के अनुसार		
घ.	विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (iv)		अनुलग्नक-घ के कालम-6 के कुल के अनुसार		

ड.	कुल		अनुलग्नक-ड. के कालम-6 के कुल के अनुसार
6	01.04.2015 को अमरीकी डालर से भारतीय रुपये में विनिमय की दर		
7	भारतीय रुपये में अर्जित समतुल्य निवल विदेशी मुद्रा (अमरीकी डालर में अर्जित निवल विदेशी मुद्रा का X विनिमय दर)		

मैं पूर्णतया समझता हूँ कि यदि प्रमाणपत्र में दिया गया कोई विवरण गलत और झूठ पाया जाता है तो कानून में निर्धारित अथवा अन्यथा न्यायसंगत दण्डनीय कार्रवाई अथवा परिणामों का सामना करने के लिए उत्तरदायी रहूंगा।

सीए/सीडब्ल्यूए/सीएस के हस्ताक्षर		
हस्ताक्षरकर्ता का नाम		
पदनाम		
सदस्यता सं.		
कार्यालय का पता	फ्लैट/प्लॉट/ब्लॉक सं०	
	गली/क्षेत्र/मुहल्ला	
	शहर	
	राज्य	
	पिन कोड	
दूरभाष सं०	देश कोड क्षेत्र कोड दूरभाष सं०	
फैक्स सं० :		
ई-मेल :		
स्थान :		
दिनांक :		

* निवल विदेशी मुद्रा = वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित आईईसी धारक द्वारा पूंजीगत माल पर व्यय की गई राशि सहित विदेशी सहित विदेशी मुद्रा के कुल व्यय/अदायगी/प्रेषण में से विदेशी मुद्रा की सरल आय की घटाकर।

यदि आईईसी धारक सेवा प्रदायक के साथ-साथ माल का विनिर्माता है, तब हकदारी की गणना के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन और कुल व्यय/अदायगी प्रेषण केवल सेवा क्षेत्र के लिए होगी।

विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (i) के अंतर्गत शामिल सेवाओं हेतु अर्जित विदेशी मुद्रा का परिकलन

क्रम सं.	विवरण	सौदे की तिथि	अर्जित मुक्त विदेशी मुद्रा (सौदे की मुद्रा में राशि)	अमरीकी डालर में परिवर्तित करने हेतु सौदे की तिथि को लागू विनिमय दर	अमरीकी डालर के समतुल्य अर्थात् (4X5)
1	2	3	4	5	6
कुल					

विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (ii) के अंतर्गत शामिल सेवाओं हेतु अर्जित विदेशी मुद्रा का परिकलन

क्रम सं.	विवरण	सौदे की तिथि	अर्जित मुक्त विदेशी मुद्रा (सौदे की मुद्रा में राशि)	अमरीकी डालर में परिवर्तित करने हेतु सौदे की तिथि को लागू विनिमय दर	अमरीकी डालर के समतुल्य अर्थात् (4X5)
1	2	3	4	5	6
कुल					

विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (iii) के अंतर्गत शामिल सेवाओं हेतु अर्जित विदेशी मुद्रा का परिकलन

क्रम सं.	विवरण	सौदे की तिथि	अर्जित मुक्त विदेशी मुद्रा (सौदे की मुद्रा में राशि)	अमरीकी डालर में परिवर्तित करने हेतु सौदे की तिथि को लागू विनिमय दर	अमरीकी डालर के समतुल्य अर्थात् (4X5)
1	2	3	4	5	6
कुल					

विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (iv) के तहत शामिल सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन का परिकलन

क्रम सं.	विवरण यदि कोई हो	सौदे की लागत	मुक्त विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपए में अर्जन जिसे अन्यथा भारतीय मुद्रा के लिए भुगतान किया गया माना जाता है (सौदे की मुद्रा में राशि)	अमरीकी डालर में परिवर्तन हेतु सौदे की तारीख को विनिमय दर	अमरीकी डालर के समतुल्य अर्थात् (4X5)
1	2	3	4	5	6
कुल					

वित्तीय वर्ष में कुल व्यय/भुगतान/प्रेषण की गणना

क्रम सं.	विवरण	व्यय/भुगतान/प्रेषण के सौदे की तारीख	सौदे की मुद्रा में व्यय की राशि (कृपया निम्नलिखित अनुदेश 3 को देखें)	अमरीकी डालर में परिवर्तित करने हेतु सौदे की तिथि पर लागू विनिमय दर	अमरीकी डालर के समतुल्य अर्थात् (4X5)
1	2	3	4	5	6
कुल					

अनुलग्नक क से ड. तक भरने हेतु अनुदेश:

1. अनुलग्नक क से घ के सभी कालों का भरना अनिवार्य है भले ही राशि शून्य हो।
2. परिवर्तित करने की विनिमय दर उस माह के लिए सीमाशुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित दर होगी।
3. वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित अनुलग्नक घ के प्रयोजन हेतु किए गए व्यय का अभिप्राय आईईसी धारक द्वारा किए गए कुल व्यय/भुगतान/विदेशी मुद्रा के प्रेषण से होगा।

यदि आईईसी धारक वस्तुओं का विनिर्माता तथा सेवा प्रदाता है तो हकदारी की गणना हेतु अर्जित विदेशी मुद्रा तथा कुल व्यय/भुगतान/प्रेषण पर केवल सेवा क्षेत्र के लिए ही होगा।